राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 3(33)डीओपी/ए– II/85 पार्ट जयपुर, दिनांक : 28.11.2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 7 में संशोधन.**– राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 7ग के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 7घ जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"7घ. विशेष योग्य जनों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– भर्ती और नियुक्ति में विशेष योग्य जनों के लिए आरक्षण इस निमित्त समय–समय पर जारी सरकार के नियमों के अनुसार होगा :

परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि समय–समय पर यथासंशोधित राजस्थान नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में आरक्षित पदों के कृत्यों या कतिपय कार्यों का नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा संपादन नहीं किया जा सकता, वहां नियुक्ति प्राधिकारी पूर्वोक्त नियमों में उपबंधित आरक्षण के प्रवर्तन से, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन, छूट अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा और यदि उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो तीन प्रवर्गों के बीच अंतर–परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तब जब उस वर्ष में पद के लिए कोई निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, नियोजक रिक्ति को किसी निःशक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरेगा।''

3. नियम 9 में संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 9 के विद्यमान परन्तुक (ix) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक (x) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

''(x) विशेष योग्य जनों के लिए ऊपरी आयु सीमा निम्न प्रकार से शिथिल की जायेगी :–

(i) सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष;

(ii) पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और

(iii) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष''

4. नियम 19 में संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 19 के उप–नियम (i) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् और टिप्पण के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु विशेष योग्य जन–अभ्यर्थियो को एक प्रश्नपत्र में और कुल अंकों में 5% की शिथिलता प्रदान की जायेगी।''

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

57/2017